सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 116/17 **निर्णय दिनांकः—25.05.2018**

1. मोहनलाल पुत्र श्री कुंभाराम जाति कुम्हार निवासी रामदेवजी रोड़ धुमचक्कर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 19—01—2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 19—01—2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर विशेष आवंटन के अन्तर्गत चक 1 डीएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 144/61 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम वांछित

सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे तथा अपीलांट विशेष आवंटन नियम 13 ए की सभी शर्ते भी पूर्ण करता था। अपीलांट उक्त रकबे की राशि पूर्व में भी जमा करवाने हेतु तैयार था व आज भी तैयार है। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट की प्रथम वरियता भी बनती है। तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया गया परन्तु अपीलांट हाजिर नहीं आया। इसलिए आवंटन निरस्त किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—01—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 06—04—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार

का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—01—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 06—04—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 1 डीएम 'ए' के मुरब्बा नम्बर 144/61 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई।

(3) प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को क्रमांक 23594 दिनांक 27—11—1999 व नोटिस क्रमांक 184 दिनांक 04—01—2000 जारी किये गये कि वे स्वयं सबूतों सहित उपस्थित आवे। अदालत मातहत द्वारा उक्त नोटिसों के माध्यम से अपीलांट को सूचित किया गया कि वे वादगत् भूमि के आवंटन हेतु वांछित सबूत यथा मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भावी काश्तकार का प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, गत् बीस वर्षो से अधिक अधिवास का प्रमाण पत्र सहित उपस्थित आवे। किन्तु अपीलांट द्वारा आवंटन अधिकारी के समक्ष सबूत आदि पेश किये।

(4) अदालत मातहत द्वारा उक्त नोटिस में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि निश्चित दिनांक को यदि आप उपस्थित नहीं आये

तो आपके आवेदन पत्र पर एकतरफा कार्यवाही की जाकर आवेदन पत्र खारिज कर दिया जायेगा। निर्धारित दिनांक गुजरने के उपरान्त किसी प्रकार का उजर सुना नहीं जायेगा। अपीलांट उक्त नोटिस जारी करने के उपरान्त भी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से आवेदक के उपस्थित नहीं होने व सबूतों के अभाव में अपीलांट का आवेदन पत्र खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 19—01—2000 बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 25.05.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर